<u>प्रकरण संख्या 02/2014 शंकरलाल व अन्य बनाम देवीलाल व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर खाता संख्या 49/52 के खेत 53 रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम महूडी में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 18 से 21 वादी की बहने हैं, जो अपनी ससुराल में रहती हैं तथा अपना हक क्लेम नहीं कर रही हैं। अतः उक्त आराजियात का स्वर्गीय हाजा के पुत्रों में ही बंटवारा होगा। पक्षकारान के पिता ने दिनांक 05.03.1968 को बंटवारा कर दिया था, जिसके अनुसार खाते की भूमि में राकड भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 16 को देना तय हुआ। पक्षकारान के पिता ने उनके कब्जे काश्त की बिलानाम भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता गोमना को 12 बीघा भूमि, प्रतिवादी संख्या 9 वेला को 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि उनके जीवनकाल में ही 40–50 वर्ष पूर्व आवंटित कर दी थी, जो उनके खाते दर्ज है। इसी तरह पक्षकारान के पिता ने ग्राम चक महूडी में प्रतिवादी संख्या 11 से 13 व प्रतिवादी संख्या 10 को आवंटित कर दी थी। उक्त आवंटित भूमि भी संयुक्त परिवार की ही भूमि थी। इस आवंटन के पश्चात पिता के निर्णय अनुसार वाद वर्णित पैत्रृक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 से 16 के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं रहा है तथा उक्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 से 16 के मध्य ही विभाजन होना है। अतः वाद वर्णित आराजियात का विभाजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 के मध्य चार बराबर–बराबर हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाकर गम्भीरचन्द जैन वकील से खरीदी भूमि में उसके पुत्रों का नाम लिखा दिया, जबकि यह जमीन सोमा, हलिया व हुरमा ने प्रतिफल राशि देकर खरीदी थी। वादी एवं हमारे मध्य यह समझौता हुआ था कि ग्राम मण्डवा की जमीन पर प्रतिवादीगण नहीं जायेंगे व ग्राम म[illegible] जमीन पर वादी नहीं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested

आयेगा। इसी अनुसार विगत 15 वर्षो से हम काबिज चले आ रहे हैं। वादी उक्त वाद की आड़ में प्रतिवादीगण की जमीन हड़पना चाहता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में 4 तनकियां कायम की तथा दिनांक 02.06.2008 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वादी स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 30.04.2012 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.02.2014 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हितेष भण्डारी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादी देवीलाल ने निर्णय व डिक्री की पालना हेतु हकरसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अभी विचाराधीन है। हकरसी की पालना हेतु पटवारी हल्का के पास आदेश भेजे जाने पर अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट अनपढ़ होने से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1286 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए कोई उचित व युक्ति युक्त कारण नहीं बताया हैं। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 887, आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पेज 158, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1112, आर. आर.टी. 2017 (1) पेज 117, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711, आर.आर.

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested

टी. 2023 (2) पेज 894 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं उसमें अनुसार देरी का पर्याप्त एवं उचित कारण नहीं होने से विलम्ब का शमन नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट का कथन है कि हकरसी की पालना हेतु पटवारी हल्का के पास आदेश भेजे जाने पर अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा अपीलान्ट अनपढ़ होने से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, वह भी मियाद से संबंधित होकर वाद की जानकारी नहीं होने एवं अनपढ़ ग्रामीण होने और कानून का ज्ञान नहीं होने से देरी को क्षमा किया गया है। अतः प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी/अपीलान्टगण को वाद की तामील नहीं हुई है। किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर अंगुष्ठ करा तामील मानकर अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। प्रतिवादी संख्या 13 सोमा की भी तामील नहीं है, न ही उनकी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वादी देवीलाल ने किसी व्यक्ति को खड़ा कर सोमा नाम से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार हैं, किन्तु उनका हिस्सा नहीं मानकर मात्र वादी व प्रतिवादी संख्या 14 से 16 का हिस्सा मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री जारी की है, वह त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए अपीलान्टगण की प्रोपर तामील हुई है। एकपक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की जो विधि संगत बताते हुए अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested

खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/वादी ने दिनांक 05.03.1968 को पिता द्वारा किये गये बंटवारे का हवाला दिया है, जबकि इस बाबत् उनके द्वारा कोई भी बंटवारानामा/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बंटवारे बाबत् कोई कथन अपने निर्णय व डिक्री में किया है। पत्रावली में कहीं प्रदर्शित नहीं है कि तहसीलदार मौके पर जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया हो। आवंटित भूमि को शामलाती भूमि किस आधार पर माना है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 14, 15, 16 का हिस्सा किस आधार पर हटाया गया, स्पष्ट नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं गयी है तथा आवंटित भूमि को शामलाती दर्ज करने का कोई आधार नहीं बताया है। बंटवारे में बिना किसी हस्तान्तरण दस्तावेज के बेटियों का नाम हटाने का आदेश दिया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 77/04 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.06.2008 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.04.2012 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.08.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:40 IST
Reason: SelfAttested